न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 43/2019 राजस्व अपील

1. परत्या } पि. बंशी
2. प्रभु
3. हरगोविन्द } पि. कौरया
4. लच्छुराम
5. छाजुराम
6. कैलाश
7. बद्री

समस्त जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 28.02.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम परत्या प्रकरण सं. 71/2019 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 06.12.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. पर बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई, सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया व पेनल्टी कायम कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.2.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। भूमि खाली है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर

प्रति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ही नहीं दिया। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स का नवीन अतिक्रमण बताया है तथा विद्युत कनेक्शन बताया है। नियमानुसार सरकारी भूमि पर विद्युत विभाग के अधिकारी कनेक्शन जारी नहीं करते है। जिससे साबित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट झूंठी है। पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श नहीं है। इसलिये साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट्स द्वारा सरकारी/चरागाह भूमि पर पूर्व में जो कब्जा था उसको भी हटा दिया जाना एवं वर्तमान में किसी भी सरकारी/चरागाह भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करना व्यक्त करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 में सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2075 रबी में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. किस्म सिवायचक गै. मु. तलाई पर गै. मु. बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.2.2019 को बेदखल कर, पेनल्टी कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स नवीन अतिक्रमी है। अपीलान्ट्स ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिये जाने का कथन किया है परन्तु उप तहसीलदार बहरावण्डा से वर्तमान स्थिति की जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार ग्राम बहरावण्डा के खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. किस्म गै. मु. तलाई पर अतिक्रमी परत्या वगैराह द्वार बोरिंग कर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण यथावत है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. किस्म सिवायचक गै. मु. तलाई पर गै. मु. बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उप तहसीलदार बहरावण्डा से मौके से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुनः जांच कराई गई। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने मौका रिपोर्ट में ग्राम बहरावण्डा की गै. मु. तलाई भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. भूमि पर बोरिंग का अतिक्रमण यथावत होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.02.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 71/2019 उनवानी सरकार बनाम परत्या वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official